UPGK010050722026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2210/2026

दयानन्द पुत्र रामनरेश, निवासी ग्राम- जंगल रामलखन, बरई टोला, थाना- सिकरीगंज, जिला- गोरखपुर। .....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 22/2026
अंतर्गत धारा- 191(2), 115(2), 109(1), 352, 351(3) B.N.S.
थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 10.06.2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 22/2026, अंतर्गत धारा- 191(2), 115(2), 109(1), 352, 351(3) B.N.S., थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.01.2026 को दिन करीब 12.30 बजे वादी का भाई विवेक सिंह अपने 2 साल के बच्चे कुन्ज की छोटी गाड़ी बनवाने गाँव के सत्यम दूबे की टैम्पो से बेलघाट जा रहा था, जैसे ही विस्तुईया गांव के हरिजन बस्ती मोड़ के पास पहुँचे है कि वहाँ सामने से आ रही पिकप गाड़ी को साइड देने को लेकर वहाँ सड़क किनारे रहने वाले दयानन्द और शचिदानन्द पुत्रगण इन्द्रजीत सड़क रोक कर खड़े थे। जब वादी के भाई विवेक ने किनारे होकर खड़ा रहने को कहा तो ये दोनों भाई ने उसे माँ बहन की गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। दयानन्द और शचितानन्द अपने घर से धारदार हथियार लेकर वादी के भाई विवेक पर जान से मारने कि नियत हमला कर दिये। मारपीट में वादी के भाई के सिर पर गम्भीर चोट आ गई और वो वही अचेत होकर सड़क पर ही गिर गया। आसपास के लोगों ने उसे हास्पिटल पहुंचाया। दयानन्द शचिदानन्द और चार अज्ञात लोगों ने मिलकर वादी के भाई के साथ मारपीट की है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। उसने कोई जुर्म नहीं किया है। प्रार्थी ने न तो किसी के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला किया है और न ही किसी को जान से मारने की धमकी दिया है और न ही ऐसी किसी घटना में शामिल ही रहा है। अभियोजन कथन देखने से ही फजी व बनावटी प्रतीत होता है, इस पर लेशमात्र भी विश्वास

नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के विरोधियों ने पुलिस को मिलाकर फर्जी ढंग से उपरोक्त मुकदमा में प्राथर्थी को फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लिखवाया गया है विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना में प्रार्थी का कोई विशिष्ट रोल नहीं दिखाया गया है। कथित घटना में किसी को प्राणघातक चोटें नहीं आई हैं इस कारण प्रार्थी के ऊपर उल्लेखित धाराओं के अपराध का गठन नहीं होता है। आघात आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित मजरूब को कोई प्राणघातक चोटें नहीं आई हैं। कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। दिनांक 25.01.2026 को सुबह लगभग 11:30 बजे प्रार्थी अपने माता कलावती देवी का दवा इलाज हेतु हास्पिटल जा रहा था उसी समय वादी मुकदमा एवं उसका भाई विवेक सिंह व सत्यप्रकाश पाण्डेय पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थी एवं प्रार्थी की माँ को जातिसूचक गाली देने लगे जिसका विरोध प्रार्थी ने किया तो उक्त लोगों ने प्रार्थी एवं प्रार्थी की माँ को जान से मारने की नियत से बुरी तरह से मारा-पीटा जिससे प्रार्थी एवं प्रार्थी की माँ को गम्भीर चोटें आयी। घटना के बावत प्रार्थी ने जब थाने पर सूचना दिया पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और वादी मुकदमा को जब इसकी जानकारी हुई तो मुकामी पुलिस को मिलाकर वादी मुकदमा एवं अन्य लोगों ने प्रार्थी के विरूद्ध ही फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल किया गया है, जो एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या के प्रयत्न का अभियोग लगाया गया है। केस डायरी में अंकित वादी मुकदमा एवं अन्य चक्षुदर्शी साक्षी के बयान के अनुसार उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के अंतर्निहित तथ्यों का पूर्णतया समर्थन करते हुए स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई पर धारदार हथियार से हमला किया जाना एवं उक्त हमले से उसके सिर पर गंभीर चोट आने के कारण उसका सड़क पर ही गिर जाना कहा गया है। मजरूब की चिकित्सीय आख्या के अनुसार उसके शरीर के मर्मस्थलों पर उपहतियां पाया जाना बताया गया है। चिकित्सक के अनुसार मजरूब को आयी उपहतियों का यदि समय से ईलाज न होता तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। मामले की विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर

रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त दयानन्द द्वारा मु०अ०सं०- 22/2026, अंतर्गत धारा- 191(2), 115(2), 109(1), 352, 351(3) B.N.S., थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक-10.06.2026</u>

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.10 16:55:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court